रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 26, 2013/फाल्गुन 7, 1934

No. 112] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 26, 2013/PHALGUNA 7, 1934

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2013

सा.का.नि. 123(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियम, 1970 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा (संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में,–

(i) नियम 2 में, –

(क) खंड (चच) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(चच) "कर्मचारी चयन आयोग" से मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक विभाग) में भारत सरकार के संकल्प सं. 46/1/(एस)/74-स्था.(बी) तारीख़ 4 नवंबर, 1975 के अनुसरण में स्थापित कर्मचारी चयन आयोग अभिप्रेत है";

(ख) खंड (ज) में, "आयोग" शब्द के स्थान पर "कर्मचारी चयन आयोग" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

"4. प्राधिकृत स्वीकृत पद संख्या.– (1) 26 अप्रैल, 2012 को सेवा के दो ग्रेडों की प्राधिकृत स्वीकृत पद संख्या, निम्नानुसार होगी –

(क) उच्च श्रेणी ग्रेड - 134

(ख) निम्न श्रेणी ग्रेड - 47

(2) 26 अप्रैल, 2012 के पश्चात् सेवा के दो ग्रेडों की प्राधिकृत स्वीकृत पद संख्या वह होगी, जो समय-समय पर रेल मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी।";

(iii) नियम 8 में, उप-नियम (2) में, "कार्मिक, लोक शिकायत मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर "कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय" शब्द रखे जाएंगे;

(iv) नियम 9 में, –

(क) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(1) अवर श्रेणी ग्रेड में रिक्तियाँ निम्नलिखित रीति से, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में कार्यरत् नियमित स्थापनों में उत्पन्न 1800 रु ग्रेड वेतन वाले समूह 'ग' कर्मचारियों की नियुक्ति द्वारा भरी जाएंगी, अर्थात्:–

(क) उक्त रिक्तियों का सत्तर प्रतिशत, अनुपयुक्त को अस्वीकृत करने के अधीन रहते हुए, उन समूह 'ग' कर्मचारियों में से भरा जाएगा जिन्होंने ग्रेड वेतन 1800 रु वाले पदों पर समूह 'ग' कर्मचारी के रूप में तीन वर्ष से अन्यून नियमित सेवा की हो और जिनकी न्यूनतम अर्हता समूह 'ग' पदों के लिए मॉडल भर्ती नियमों में यथा विनिर्दिष्ट दसवीं उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता है।

(ख) उक्त रिक्तियों का तीस प्रतिशत, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित समूह 'ग' कर्मचारिवृंद के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरा जाएगा जिसमें समूह 'ग' कर्मचारी, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं स्तर या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो और 1800 रु के ग्रेड वेतन में समूह 'ग' कर्मचारी के रूप में

तीन वर्ष से अन्यून नियमित सेवा की हो, भाग लेने के लिए पात्र होंगे";

(ख) उप-नियम (4) का लोप किया जाएगा;

(ग) उप-नियम (5) में, "आयोग" शब्द के स्थान पर "कर्मचारी चयन आयोग" शब्द रखे जाएंगे;

(v) नियम 14 के, उप-नियम (3) में, शीर्षक "(ख) अवर श्रेणी ग्रेड" के अधीन विद्यमान मदों के स्थान पर निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता निम्नलिखित रीति से विनियमित की जाएगी, अर्थात्:—

(क) जो नियम 9 के उप-नियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त किए गए हैं, उनकी परस्पर रैंक निम्नतर ग्रेड में उनकी ज्येष्ठता के क्रम में होगी;

(ख) जो नियम 9 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त किए गए हैं, उनकी परस्पर रैंक कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा अनुशंसित के क्रम में होगी;

(ग) खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता, इस प्रयोजन के लिए रखे गए रोस्टर के अनुसार, दोनों समूहों में से प्रत्येक के लिए नियत कोटा के अनुसार, खंड (क) में निर्दिष्ट सात व्यक्तियों से प्रारंभ करते हुए उपर्युक्त खंड (ख) से तीन व्यक्तियों द्वारा अनुसरण करके और इसी प्रकार विनियमित की जाएगी।";

3. उक्त नियमों की अनुसूची में, पैरा 2 में, —

(क) उप-पैरा (1) में, खंड (ख) में, "आयोग" शब्द के स्थान पर "कर्मचारी चयन आयोग" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप-पैरा (3) के टिप्पण में, "समय-समय पर गृह मंत्रालय में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग" शब्दों के स्थान पर "समय-समय पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 2012/ईआरबी-6/1/1]

के. कृष्णन, संयुक्त सचिव

टिप्पण.— मूल नियम, सरकारी राजपत्र में सा.का.नि. सं. 651, तारीख 13 मार्च, 1970 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और उनमें निम्नलिखित पश्चातवर्ती संशोधन किए गए :–

क्र.सं.	अधिसूचना सं.	तारीख	सा.का.नि.
1.	ई70/ओजी1/6/आरबी2 (आरबी3)	15.05.1971	906
2.	ई67/ओजी1/9/आरबी2 (आरबी3)	06.11.1971	1722
3.	ई67/ओजी1/9/आरबी3	22.07.1972	904
4.	ई67/ओजी1/9/आरबी2 (आरबी3)	14.05.1974	519
5	ई73/ओजी1/1/आरबी3	09.02.1976	230
6.	ई76/ओजी1/6/आरबी3 (आरबीडी)	13.09.1977	1527
7.	ई67/ओजी1/9/आरबी2 (आरबीडी)	08.05.1978	659
8.	ई80/ओजी4/5/आरबी(डी)	14.09.1981	873
9.	ई92/ओजी1/1आरबी(डी)	07.11.1994	591
10.	96/ईआरबी(डी)/ओजी1/1	15.07.1999	250

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2013

G.S.R. 123(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Railway Board Secretariat Clerical Service Rules, 1970, namely:—

1. (1) These rules may be called the Railway Board Secretariat Clerical Service (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Railway Board Secretariat Clerical Service Rules, 1970 (hereinafter referred to as the said rules),—

(i) in rule 2,—

(a) for clause (ff), the following clause shall be substituted, namely:—

"(ff) "Staff Selection Commission" means the Staff Selection Commission set up in pursuance of the Resolution of the Government of India in the Cabinet Secretariat (Department of Personnel) No.46/1/(s)/74 - Estt.(B), dated the 4th November, 1975";

(b) in clause (h), for the word "Commission", the words "Staff Selection Commission" shall be substituted;

(ii) for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:—

"4. Authorized sanctioned strength.— (1) The authorized sanctioned strength of the two grades of the service as on the 26th April, 2012, shall be as follows —

(A) Upper Division Grade – 134
(B) Lower Division Grade – 47

(2) After the 26th April, 2012, the authorized sanctioned strength of the two grades shall be such as may be determined by the Central Government in the Ministry of Railways from time to time.";

(iii) in rule 8, in sub-rule (2), for the words "Ministry of Personnel, Public Grievances", the words "Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions" shall be substituted;

(iv) in rule 9,—

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) The vacancies in the Lower Division Grade shall be filled by appointment of Group 'C' employees having Grade Pay of ₹1800 borne on regular establishments working in the Ministry of Railways (Railway Board) in the following manner, namely:—

(a) seventy per cent. of the said vacancies shall be filled on the basis of seniority, subject to rejection of the unfit, from amongst those Group 'C' employees who have rendered not less than three years' 'regular service' as Group 'C' employee in the posts with Grade Pay of ₹1800 having minimum qualification of 10th standard pass or equivalent qualification as specified in model recruitment rules for Group 'C' posts;

(b) thirty per cent. of the said vacancies shall be filled on the basis of Limited Departmental Competitive Examination for Group 'C' staff conducted by the Staff Selection Commission in which Group 'C' employees who have passed the 12th standard examination from a recognized Board or equivalent and have rendered not less than three years' regular service as Group 'C' employee having Grade Pay of ₹1800 shall be eligible to participate".;

(b) sub-rule (4), shall be omitted;

(c) in sub-rule (5), for the word "Commission", the words "Staff Selection Commission" shall be substituted;

(v) in rule 14, in sub-rule (3), under the heading "(B) Lower Division Grade", for the existing items, the following items shall be substituted, namely:—

"The inter-se seniority of persons appointed on regular basis to the Grade shall be regulated in the following manner, namely:—

(a) those appointed under clause (a) of sub-rule (1) of rule 9 shall rank inter-se in the order of their seniority in the lower Grade;

(b) those appointed under clause (b) of sub-rule (1) of rule 9 shall rank inter-se in the order as recommended by the Staff Selection Commission;

(c) the inter-se seniority of persons referred to in clauses (a) and (b) shall be regulated according to the quota fixed for each of the two groups, in accordance with a roster maintained for the purpose, starting with seven persons referred to in clause (a) followed by three from clause (b) above and so on.";

3. In the Schedule to the said rules, in paragraph 2,—

(a) in sub-paragraph (1), in clause (b), for the word "Commission", the words "Staff Selection Commission" shall be substituted;

(b) in sub-paragraph (3), in the Note, for the words "Department of Personnel and Administrative Reforms in the Ministry of Home Affairs from time to time", the words "Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions from time to time" shall be substituted.

[F. No. 2012/ERB-6/1/1]

K. KRISHNAN, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were notified in the Official Gazette vide Number G.S.R. 651, dated the 13th March, 1970 and subsequently amended as follows:—

S. No.	Notification number	Date	G.S.R.
1.	E70/OG1/6/RB2(RB3)	15.05.1971	906
2.	E67/OG1/9/RB2(RB3)	06.11.1971	1722
3.	E67/OG1/9/RB3	22.07.1972	904
4.	E67/OG1/9/RB2(RB3)	14.05.1974	519
5.	E73/OG1/1/RB3	09.02.1976	230
6.	E76/OG1/6/RB3(RBD)	13.09.1977	1527
7.	E67/OG1/9/RB2(RBD)	08.05.1978	659
8.	E80/OG4/5/RB(D)	14.09.1981	873
9.	E92/OG1/1/RB(D)	07.11.1994	591
10.	96/ERB(D)/OG1/1	15.07.1999	250

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2013

सा.का.नि. 124(अ).—केंद्रीय सरकार रेल मंत्रालय में, रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियम, 1970 के नियम 9 के उप-नियम (5) के उपबंधों के अनुसरण में और रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा (समूह "घ" कर्मचारिवृंद के लिए अवर श्रेणी ग्रेड प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1971 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम समूह "ग" कर्मचारिवृंद (ग्रेड वेतन 1800 रु) के लिए अवर श्रेणी ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा विनियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) **"उपलब्ध रिक्तियां"** से अभिप्रेत है सेवा की अवर श्रेणी ग्रेड में ऐसी रिक्तियां जिन्हें इस परीक्षा के परिणाम पर भरा जाना विनिश्चित किया गया है;

(ख) **"निर्णायक तारीख"** से अभिप्रेत है —

(i) वर्ष के जनवरी का प्रथम दिन, यदि परीक्षा उस वर्ष की 1 जुलाई से पहले आयोजित करने के लिए अधिसूचित की गई है;

(ii) वर्ष के अगस्त का प्रथम दिन, यदि परीक्षा उस वर्ष की 1 जुलाई को या उसके पश्चात् आयोजित करने के लिए अधिसूचित की गई है;

(ग) **"परीक्षा"** से 1800 रु ग्रेड वेतन वाले समूह "ग" कर्मचारियों की रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में नियुक्ति के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित समिति विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा अभिप्रेत है;

(घ) **"नियमित नियुक्त समूह 'ग' कर्मचारी"** से विहित प्रक्रिया के अनुसरण में नियमित आधार पर रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में नियुक्त कोई कर्मचारी अभिप्रेत है;

(ङ) **"अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजाति"** के वही अर्थ होंगे जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमश: खंड (24) और खंड (25) द्वारा समनुदेशित किए गए हैं।

(2) उन शब्दों और पदों, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियम, 1970 में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो उक्त नियमों में हैं।

3. **परीक्षा का लिया जाना.**— (1) भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित रीति से कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा का संचालन किया जाएगा।

(2) वे तारीखें और स्थान जिन पर परीक्षा आयोजित की जाएगी, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत किए जाएंगे।

4. **पात्रता की शर्तें आदि.**— 1800 रु ग्रेड वेतन वाला कोई स्थायी या नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी समूह "ग" कर्मचारी जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है परीक्षा में सम्मिलित होने का पात्र होगा—

(क) **सेवा की अवधि.**— उसने निर्णायक तारीख को 1800 रु ग्रेड वेतन में समूह "ग" कर्मचारी के रूप में तीन वर्ष से अन्यून नियमित सेवा की हो।

टिप्पण 1: कोई समूह "ग" कर्मचारी, जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से काडर से बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर है, परीक्षा में सम्मिलित होने का पात्र होगा, यदि वह अन्यथा पात्र हो।

टिप्पण 2: कोई समूह "ग" कर्मचारी, जो काडर से बाह्य पद पर या अन्य सेवा में अंतरण पर नियुक्त है तथा उस समय के लिए समूह "ग" पद पर धारणाधिकार रखे हुए है, परीक्षा में सम्मिलित होने का पात्र होगा, यदि वह अन्यथा पात्र हो।

(ख) **आयु.**—जिनकी आयु निर्णायक तारीख को 45 वर्ष (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थी के मामले में 50 वर्ष) से अधिक नहीं हो:

परंतु व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्गों के संबंध में जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है, ऊपरी आयु सीमा की छूट, प्रत्येक प्रवर्ग के संबंध में अधिसूचित सीमा तक तथा अधिसूचित शर्तों के अधीन प्रदान की जा सकेगी।

(ग) **शैक्षिक अर्हताएं.**— उसे किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं स्तर या समकक्ष की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

5. **पात्रता के बारे में विनिश्चय.**— परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के बारे में रेल मंत्रालय में केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसका प्रवेश प्रमाणपत्र कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया है, परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

6. **परिणाम.**— (1) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त माने गए अभ्यर्थियों के नाम एकल सूची में और विनियम 7 के उप-विनियम (3) के उपबंधों के अध्यधीन व्यवस्थित किए जाएंगे तथा उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश, उक्त क्रम से नियुक्तियों के लिए विनिश्चित की गई संख्या तक की जाएगी।

(2) परीक्षा के परिणामों को व्यष्टिक अभ्यर्थियों को संसूचित करने का प्ररूप और रीति कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विनिश्चित की जाएगी, जो परिणामों के संबंध में व्यष्टिक अभ्यर्थियों से कोई पत्रव्यवहार नहीं करेगा।

7. **नियुक्तियाँ.**— (1) परीक्षा में सफलता, चयनित होने के लिए कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करती है जब तक कि काडर प्राधिकारी, ऐसी जाँच के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी, सेवा में अपने आचरण के संबंध में, चयन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है:

परंतु यह विनिश्चय कि आयोग द्वारा चयन के लिए सिफारिश किया गया कोई विशिष्ट अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं है, रेल मंत्रालय में केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

780 GI/13-3

(2) किसी अभ्यर्थी को सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह ऐसी चिकित्सीय जांच जिसे रेल मंत्रालय में केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, के पश्चात् किसी मानसिक या शारीरिक त्रुटि जिससे सेवा के कर्तव्यों के निर्वहन में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना हो, से मुक्त पाया गया हो।

(3) परीक्षा के परिणामों पर सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में नियुक्तियाँ, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों, भूतपूर्व सैनिकों और नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण के अधीन रहते हुए इस निमित्त केंद्रीय सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित योग्यता क्रम में उपलब्ध रिक्तियों की सीमा तक की जाएंगी।

(4) (i) अभ्यर्थियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित अंग्रेजी या हिंदी में अवधिक टंकण परीक्षाओं में से एक परीक्षा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट (श.प्र.मि.) या हिंदी में 25 श.प्र.मि. की न्यूनतम गति से हस्तचालित टाइपराइटर पर अथवा अंग्रेजी में 35 श.प्र.मि. या हिंदी में 30 श.प्र.मि. की टंकण गति से कंप्यूटर पर [35 श.प्र.मि. और 30 श.प्र.मि. प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी दाब के औसत पर 10500 कुंजी दाब प्रति घंटा (कु.दा.प्र.घं.)/9000 कु.दा.प्र.घं. के समतुल्य हैं] अथवा राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिंदी टंकण परीक्षा इन मानकों के अनुसार उत्तीर्ण करनी होगी, यदि उन्होंने पहले से ही ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण न की हो। ऐसा न होने पर कोई भी वार्षिक वेतनवृद्धियां तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएंगी, जब तक वे उक्त परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर लेते हैं।

(ii) ऐसे अभ्यर्थी, जो परिवीक्षा की अवधि के भीतर उक्त टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते हैं, अवर श्रेणी ग्रेड में नियुक्ति से पहले उनके द्वारा धारित अधिष्ठायी नियुक्ति या अस्थायी पद पर प्रतिवर्तित होने के दायी होंगे।

(iii) उपरोक्त खंड (i) और खंड (ii) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अभ्यर्थी को जिसे सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी, अर्थात् सिविल सर्जन, द्वारा शारीरिक नि:शक्तता के कारण टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए स्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया गया है, रेल मंत्रालय में केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा से छूट दी जा सकेगी तथा उसे इस प्रकार छूट दी जाने की दशा में, ऐसी छूट की तारीख से खंड (i) और खंड (ii) के उपबंध उस पर लागू नहीं होंगे।

8. **कदाचार के लिए शास्ति.**– वह अभ्यर्थी, जिसे कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निम्नलिखित का दोषी घोषित किया जाता है या किया गया है–

(i) किसी भी साधन द्वारा अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त करना; या

(ii) प्रतिरूपण; या

(iii) किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण उपाप्त करना; या

(iv) जाली दस्तावेज़ या वे दस्तावेज़ जिनसे छेड़छाड़ की गयी हो, प्रस्तुत करना; या

(v) वह कथन करना जो गलत या मिथ्या है, या महत्तवपूर्ण जानकारी को छिपाना; या

(vi) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाना; या

(vii) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग करना; या

(viii) परीक्षा कक्ष में दुर्व्यवहार करना; या

(ix) पूर्वगामी उपविनियमों में विनिर्दिष्ट सभी या किसी कृत्य को करने का प्रयत्न करना या करने का दुष्प्रेरण करना,

दांडिक अभियोजन के लिए स्वयं दायी होने के अतिरिक्त निम्नलिखित के लिए भी दायी होगा –

(क) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उस परीक्षा से निरर्हित होने के लिए जिसके लिए वह अभ्यर्थी है; या

(ख) स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विवर्जित किए जाने के लिए –

(i) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, उसके द्वारा आयोजित किसी परीक्षा या चयन से;

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी नियोजन से; और

(ग) समुचित नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही के लिए।

[फा. सं. 2012/ईआरबी-6/1/1]

के. कृष्णन, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2013

G.S.R. 124(E).—In pursuance of the provisions of sub-rule (5) of rule 9 of the Railway Board Secretariat Clerical Service Rules, 1970 and in supersession of the Railway Board Secretariat Clerical Service (Lower Division Grade Competitive Examination for Class-IV staff) Regulations, 1971 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in the Ministry of Railways hereby makes the following regulations, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These regulations may be called the Lower Division Grade Limited Departmental Competitive Examination for Group "C" Staff (Grade Pay of ₹1800) Regulations, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "**available vacancies**" means the vacancies in the Lower Division Grade of the service which are decided to be filled on the result of the examination;

(b) "**crucial date**" means —

(i) the first day of January of the year, if the examination is notified to be held before the 1st July of that year;

(ii) the first day of the August of the year if the examination is notified to be held on or after the 1st July of that year;

(c) "**examination**" means a limited departmental competitive examination held by the Staff Selection Commission for appointment of Group 'C' employees having Grade Pay of ₹1800 to the Lower Division Grade of the Railway Board Secretariat Clerical Service;

(d) "**regularly appointed Group 'C' employee**" means an employee appointed in the Ministry of Railways (Railway Board) on a regular basis according to the prescribed procedure;

(e) **"Scheduled Castes"** and **"Scheduled Tribes"** shall have the meanings respectively assigned to them by clause (24) and clause (25) of article 366 of the Constitution of India.

(2) The words and expressions used in these regulations and not defined but defined in the Railway Board Secretariat Clerical Service Rules, 1970 shall have the meanings respectively assigned to them in the said rules.

3. **Holding of examination.**— (1) The examination shall be conducted by the Staff Selection Commission in the manner notified from time to time by the Government of India in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

(2) The dates on which and the places at which the examination shall be held, shall be fixed by the Staff Selection Commission.

4. **Conditions of eligibility etc.**— Any permanent or regularly appointed temporary Group 'C' employee having Grade Pay of ₹1800 who satisfies the following conditions shall be eligible to appear at the examination—

(a) **Length of service.**— He should have on the crucial date, rendered not less than three years' regular service as a Group 'C' employee with Grade Pay of ₹1800.

Note I: A Group 'C' employee who is on deputation to ex-cadre post with the approval of the competent authority shall be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

Note II: A Group 'C' employee who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer and continues to have a lien in the Group 'C' post for the time being shall also be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

(b) **Age.**— He should not be more than 45 years (50 years in case of the candidate belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) of age on the crucial date:

Provided that the upper age limit may be relaxed in respect of such categories of persons as may be notified from time to time in this behalf by the Central Government to the extent and subject to the conditions notified in respect of each category.

(c) **Educational qualifications.**— He must have passed the 12th standard examination from a recognized Board or equivalent.

5. **Decisions as to eligibility.**— The decision of the Central Government in the Ministry of Railways as to eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Staff Selection Commission shall be admitted to the examination.

6. **Results.**— (1) The names of the candidates who are considered by the Staff Selection Commission to be suitable for appointment on the results of the examination shall be arranged in a single list in order of and subject to the provisions of sub-regulation (3) of regulation 7 and they shall be recommended for appointment in that order up-to the number of appointments decided to be made.

(2) The form and manner of communication of the results of the examination to individual candidates shall be decided by the Staff Selection Commission who shall not enter into any correspondence with the individual candidates regarding results.

7. **Appointments.**— (1) The success in the examination confers no right to selection unless the cadre authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is suitable in all respects for selection:

Provided that the decision as to whether a particular candidate recommended for selection by the Commission is not suitable shall be taken by the Central Government in the Ministry of Railways.

(2) No candidate shall be appointed to the Lower Division Grade of the service unless, he is, after such medical examination as the Central Government in the Ministry of Railways may specify, found to be free from any mental or physical defect which is likely to interfere with the discharge of the duties of the service.

(3) The appointments to the Lower Division Grade of the service on the results of the examination shall be made to the extent of the available vacancies in the order of merit as recommended by the Staff Selection Commission for appointment, subject to the reservations for the candidates of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, ex-servicemen and physically handicapped persons, in accordance with the orders issued from time to time by the Central Government in the Department of Personnel and Training in this behalf.

(4) (i) The candidates shall have to pass if not already passed one of the periodical type-writing tests in English or Hindi held by Staff Selection Commission at a minimum speed of 30 words per minute (w.p.m.) in English or 25 w.p.m. in Hindi on manual typewriter or typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer [35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 Key Depressions Per Hour (KDPH) / 9000 KDPH on an average of five key depressions for each word] or Hindi typing test in accordance with these norms, held by the Department of Official Language within a period of one year from the date of appointment, failing which no annual increments shall be allowed to them until they have passed the said test.

(ii) The candidates who do not pass the said type-writing test within the period of probation shall be liable to be reverted to their substantive appointment or temporary posts held by them before their appointment to Lower Division Grade.

(iii) Notwithstanding anything contained in clauses (i) and (ii) above, a candidate, who has been declared by the competent medical authority, namely, the Civil

Surgeon, to be permanently unfit to pass the type-writing test because of a physical disability, may with the prior approval of the Central Government in the Ministry of Railways, be exempted from the requirement of passing the type-writing test and, in the event of his being so exempted, the provisions of clauses (i) and (ii) shall cease to be applicable to him from the date of such exemption.

8. **Penalty for misconduct.**— A candidate who is or has been declared by the Staff Selection Commission to be guilty of —

(i) obtaining support for his candidature by any means; or
(ii) impersonating; or
(iii) procuring impersonation by any person; or
(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or
(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information; or
(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or
(vii) using unfair means in the examination hall; or
(viii) misbehaving in the examination hall; or
(ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses,

may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable —

(a) to be disqualified by the Staff Selection Commission from the examination for which he is a candidate; or
(b) to be debarred either permanently or for a specified period —
    (i) by the Staff Selection Commission, from any examination or selection held by them;
    (ii) by the Central Government from any employment under them; and
(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

[F. No. 2012/ERB-6/1/1]

K. KRISHNAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.